न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **अन्तर सिंह नेहरा**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
270 / प्रा0पत्र / 18	15.10.2018	03.06.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

धन्ना आ. ग्यारसा कौम गूजर,
निवासी ग्राम अंथडा, तहसील एवं जिला बून्दी

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम,1954

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी धन्ना आ. ग्यारसा जाति गूजर, निवासी ग्राम अंथडा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 557 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम अंथडा आवंटन आदेश दिनांक 10.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली संलग्न प्राप्त हुई।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस उसके पुत्र रामकल्याण पर तामील होकर प्राप्त हुआ, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 19.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी धन्ना को दिनांक 10.10.1977 को आवंटन की गई थी, आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा लेकर काश्त नहीं की गई और न ही आरक्षित मूल्य भी जमा करवाया गया है। उक्त आराजी पर मौके पर खाली पड़त है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी धन्ना आ. ग्यारसा जाति गूजर निवासी ग्राम अंथडा को मिसल संख्या 354/77 दिनांक 10.10.1977 को ग्राम अंथडा की आराजी खसरा संख्या 557 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन किया जाना प्रकट है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बून्दी द्वारा आवंटी को जारी नोटिस दिनांक 13.02.1984 से आवंटी के विरूद्ध आवंटन के पेटे 218/– रू. की राशि बकाया होना एवं आवंटन पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.11.84 में उक्त बकाया राशि जमा नहीं कराया जाना जाहिर है। पत्रावली के संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2072 से 2075 में उक्त आराजी पड़त होना प्रकट है। जिससे आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होना एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। ऐसे में आवंटी को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरर्थक हो जाता है, इससे भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी धन्ना आ. ग्यारसा जाति गूजर निवासी ग्राम अंथडा को मि.सं. 354/77 दिनांक 10.10.77 को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं0 557 रकबा 1 बीघा 05 ग्राम अंथडा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बून्दी उक्त आराजी को नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर सिवायचक दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 03.6.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/6/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.06.04 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: